

निर्णय ब-इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 40/2024 (धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये ज्योति सुण्डा, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री सुनील कुमार ठेरा पुत्र श्री चन्दालाल ठेरा, निवासी 65, कृष्णा नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा,
जयपुर मैसर्स खुशी एन्टरप्राइजेज, दरबार स्कूल के पास, लक्ष्मीनगर, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत
जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 35.900
किलोग्राम एवं एक विद्युत मोटर मय रबड पाईप व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा
को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :-

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 10.07.2025

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रूप से गैस भरने सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 18.06.2024 को दरबार स्कूल के पास खुशी एन्टरप्राइजेज, लक्ष्मी नगर, झोटवाडा जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर वेईंग मशीन पर उल्टा पाया गया जो काले रंग की पाईप से द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा पाया गया। इलेक्ट्रिक मोटर से एक हल्का बैंगनी रंग का पाईप जुड़ा पाया गया जिसके किनारे पर नोजल पाया गया। नोजल अवैध रूप से वाहनों में एल.पी.जी. भरने का काम आना बताया। मौके पर पेटीएम का स्क्रीन पाया गया, जिसको स्कैन करने पर सुनील कुमार का नाम आया। परिसर की तलाशी करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. ओर पाये गये। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डरर्स की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा-6-ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 20.06.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डरर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जुल्फिकार अली ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। आगामी पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दरबार स्कूल के पास खुशी एन्टरप्राइजेज, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा जयपुर की जांच श्री सुनील कुमार ठेसरा की उपस्थिति में की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर वेईंग मशीन पर चल्ता पाया गया जो काले रंग की पाईप से द्वारा इलेक्ट्रीक मोटर से जुड़ा पाया गया। इलेक्ट्रीक मोटर से एक हल्का बैंगनी रंग का पाईप जुड़ा पाया गया जिसके किनारे पर नोजल पाया गया। नोजल अवैध रूप से वाहनों में एल.पी.जी. भरने का काम आना बताया। मौके पर पेट्रीएम का स्क्रीन पाया गया, जिसको रकने करने पर सुनील कुमार का नाम आया। परिसर की तलाशी करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. ओर पाये गये। इस प्रकार परिसर में कुल 5 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. पाये गये। मौके पर गैसर्स अनय गैस सर्विस जयपुर के प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार यादव पुत्र श्री गोविन्दराम यादव घरेलू गैस सिलेण्डरर्स का तौल करवाया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरर्स में कुल 35.900 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जल्दशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमाये।
4. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जल्दी दिनांक 18.06.2024 को भंगीभांती अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
5. प्रार्थी द्वारा जल्द किये गये सिलेण्डरर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौरान जांच मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डरर्स बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 35.900 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय रबड पाईप व एक इलेक्ट्रोनिक कांटा पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरर्स से अवैध रूप से वाहनो में एल.पी.जी. स्थानान्तरित कर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जल्द सिलेण्डरर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जल्द 05 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल.मय 35.900 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय रबड पाईप व एक इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 20.06.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय प्रति हसब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर